

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 264 सन 2019

अनवान :-

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादीगण

बनाम

1. श्रीदान पुत्र सुलतानदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. निलम पुत्री श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. विरेन्द्र पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08/7/20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 567 के प०न० 341/359(287) किला न० 20 प०न० 340/359 (28) किला न० 16 ता 25 प०न० 339/359(289) के किला न० 16 ,17 ,24 ,25 प०न० 339/360(336) के किला न० 5 प०न० 340/360(337) के किला न० 1 ता 4 कुल 4.219 हैक् भूमि संयुक्त खाता में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1. 4063 हैक् तथा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 88/82 के प०न० 0 मु०न० 0 की 0.150 हैक् गै०मु० प०न० 359/378 (20) के किला न० 1 ता 3 ,8 ता 10 की कुल 1.5150 हैक् भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा /पडदादा सुलतानदान पुत्र भागदान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुलतानदान पुत्र भागदान के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुलतानदान पुत्र भागदान के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है प्रतिवादी संख्या 2, की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध हो चुके है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उप स (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सुलतानदान पुत्र भागदान के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पुत्रों वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 567 के प0न0 341/359(287) किला न0 20 प0न0 340/359 (28) किला न0 16 ता 25 प0न0 339/359(289) के किला न0 16 ,17 ,24 ,25 प0न0 339/360(336) के किला न0 5 प0न0 340/360(337) के किला न0 1 ता 4 कुल 4.219 हैक भूमि संयुक्त खाता में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.4063 हैक तथा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 88/82 के प0न0 0 मु0न0 0 की 0.150 हैक गै0मु0 प0न0 359/378 (70) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 की कुल 1.5150 हैक भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा /पडदादा सुलतानदान पुत्र भागदान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुलतानदान पुत्र भागदान के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुलतानदान पुत्र भागदान के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है प्रतिवादी संख्या 2, की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध हो चुके है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


अध्यक्ष (राजस्व)
कोटा (हनुमानगढ़)

हगने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 567 की कुल 4.219 हैक भूमि संयुक्त खाता में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.4063 हैक तथा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 88/82 की कुल 1.5150 हैक भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2076 के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा सुलतानदाग पुत्र भागदान के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि विरास्तान से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादी के पूर्वजों के देहान्त पर दर्ज हुई विरास्तान से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहने है व प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिसका उन्होने बाहमी बटवारा कर लिया इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा व बाहमी बटवारा की भूमि है जिसे उनके नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 567/480 की कुल कुल 4.219 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 तीनों बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 88/82 की 1.515 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1.009 हैक प्रतिवादी संख्या 3 का 0.506 हैक भूमि का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तस्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलारा में सुनाया गया।

उपमुख्य अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादीगण

बनाम

1. श्रीदान पुत्र सुलतानदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. निलम पुत्री श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. विरेन्द्र पुत्र श्रीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 264 सन 2019 निर्णय दिनांक- 08/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 567/480 की कुल कुल 4.219 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 88/82 की 1.515 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1.009 हैक् प्रतिवादी संख्या 3 का 0.506 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)